भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या † 649

उत्तर देने की तारीख 06.02.2025

पीवीटीजी योजना के अंतर्गत निधियां

† 649. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह:
डॉ. भोला सिंह:
डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
डॉ. राजेश मिश्रा:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री शिवमंगल सिंह तोमर:
श्री आलोक शर्मा:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों को 2022-23 के दौरान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) को विकास योजना के तहत कोई धनराशि संवितरित नहीं की गई;
(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) पीवीटीजी योजना के तहत, विशेष रूप से यह देखते हुए कि उक्त राज्यों में जनजातीय आबादी काफी अधिक है, धनराशि संवितरण की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;
(घ) धनराशि संवितरण में तेजी लाने तथा योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं;
(ङ) सरकार का प्रस्ताव किस प्रकार यह सुनिश्चित करने का है कि भविष्य में पीवीटीजी योजना के तहत जलगांव, महाराष्ट्र पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए और इसे संसाधन प्राप्त हों;

(च) क्या बैगा जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए बैगा परियोजना अभी तक तैयार नहीं की गई है, जिनकी सबसे बड़ी संख्या मध्य प्रदेश के सीधी संसदीय क्षेत्र में निवास करती है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(छ) क्या बैगा जनजाति के लिए बैगा परियोजना को मंजूरी देने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (घ) : पीवीटीजी के सामाजिक-आर्थिक और समग्र विकास के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय "पीवीटीजी के विकास" की योजना को कार्यान्वित कर रहा था, जिसमें संरक्षण सह विकास (सीसीडी) योजनाओं के लिए उनके प्रस्तावों के आधार पर संबंधित राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र को निधियां प्रदान की जाती हैं। योजना के तहत निधियां जारी करना उपयोगिता प्रमाण-पत्र, प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने और एसएनए अनुपालन के अधीन है। झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास योजना के तहत 2022-23 के दौरान उक्त शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण कोई निधियां जारी नहीं की गई। 2023-24 के दौरान, 18 राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए, माननीय प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) शुरू किया। मिशन का उद्देश्य तीन वर्षों में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार संपर्क, अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को 9-लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 उपायों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। पीएम जनमन के शुभारंभ के साथ, प्रतिबद्ध देनदारियों को छोड़कर पीवीटीजी योजना के विकास के तहत कोई नई गतिविधियों / परियोजनाओं को अनुमोदन / स्वीकृति नहीं दी गई है। जहां तक पीएम जनमन के कार्यान्वयन का सवाल है, जनजातीय कार्य मंत्रालय पीएम जनमन के तहत परियोजनाओं / गतिविधियों के कार्यान्वयन में तेजी लाने और मिशन के तहत संबंधित योजनाओं के तहत निधियों के सुचारू प्रवाह की अनुमति देने के लिए राज्य सरकारों / मंत्रालयों / विभागों के साथ नियमित रूप से समन्वय कर रहा है।

(ड.) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि जलगांव जिले में कोई भी पीवीटीजी नहीं रहता है। हालाँकि, माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया। इस अभियान में 17 लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य 63,843 गाँवों में बुनियादी ढाँचे की अंतरों (गैप्स) को पूरा करना, स्वास्थ्य, शिक्षा,

आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुँच में सुधार करना और 5 वर्षों में महाराष्ट्र के जलगांव जिले के 112 गाँवों सहित 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातियों को लाभान्वित करते हुए आजीविका के अवसरों को प्रदान करना है।

(च) और (छ) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि सीधी संसदीय क्षेत्र में निवास करने वाले बैगा समुदाय को प्रधानमंत्री जनमन के तहत लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बैगा समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए मध्य प्रदेश में बैगा विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है।

****